निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति व जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

***कविता सागर** , पीएच.डी. शोधार्थी
कैलोक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद (गुजरात)

मुख्य शब्द – निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा, अधिकार, शिक्षक अभिवृत्ति, जागरूकता आदि।

सार सक्षेप :-

प्रस्तुत शोध निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति व जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। शोध में सीकर एवं झुंझुनूं जिले के ग्रामीण एवं शहरी 80 सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के 160 महिला और पुरूष शिक्षकों का चयन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी एवं जागरूकता का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का उपयोग किया गया। मध्यमान, मानक विचलन और क्रान्तिक अनुपात सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग दत्त विश्लेषण के लिए किया गया है।

प्रस्तुत शोध के परिणाम स्पष्ट करते है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला और पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। मध्यमानों की तुलना के आधार पर महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता पुरूष शिक्षकों से अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में अधिक है।

समस्या की पृष्ठ भूमि, औचित्य एवं महत्त्व :–

शिक्षा बालकों का मूल अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना स्वतंत्र भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसे राज्य द्वारा परिवार और समुदायों की सहायता से किया जाएगा।

शिक्षा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। प्रत्येक राष्ट्र समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा प्रणाली में समयानुसार परिवर्तन व संवर्धन करता है ताकि राष्ट्रीय सामाजिक व सामाजिक पहचान बरकरार रहे। वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बालकों से जुड़ी विभिन्न समस्याएँ हमारे समक्ष विद्यमान है। शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों के अधिकारों के प्रति बच्चों एवं अभिभावकों को अवगत करवाकर उन्हें इसके प्रति जागरुक बनाया जा सकता है।

व्यक्ति के विकास करते–करते उसमें अनुभवों की वृद्धि हुआ करती है और व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी प्रगतिशील रहता है। अभिवृत्ति एक विशिष्ट मानसिक दशा होती है जो व्यक्ति के परिपक्व अनुभवों पर आधारित होते हुए प्रेरणादायक हुआ करती है। व्यक्ति इसी अभिवृत्ति की मानसिक दशा से प्रेरित होकर सामाजिक कार्य करता है और इसी से नियंत्रित भी रहता है। अभिवृत्ति द्वारा दी गयी प्रेरणा बिल्कुल व्यक्ति की इच्छाओं एवं मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के समान होती है। अभिवृत्ति व्यक्ति के अर्जित अनुभवों से संगठित होकर उसे गति प्रदान करती है। अभिवृत्ति किसी विशिष्ट वस्तु से होता है जिसकी उपस्थिति में व्यक्ति अभिवृत्ति से क्रियाशील रहने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है।

जागरुकता एक मानसिक भाव है, जिसका अर्थ है – बोध सहित जागना। अतः इसके लिए मूढ़ता का त्याग होना सर्वप्रथम आवश्यक है। बिना ज्ञान के बुद्धि और इन्द्रियाँ सुप्त हो जाती हैं।

अध्यापक वह चिराग है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। अध्यापक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक की प्रत्येक गतिविधि एवं उसके आचरण को विद्यार्थी एवं सम्पूर्ण समाज सूक्ष्म दृश्टि से देखते हैं। उसी आधार पर शिक्षक की छवि भारतीय समाज में प्रतिबिम्बित होती है। यह शोधकार्य अध्यापकों की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यालय में अधिगम का कार्य शिक्षक का होता है। शिक्षा के अधिकार की जानकारी होने से विद्यालय में सभी गतिविधियां सुचारू रूप से गतिमान हो सकेगी व विद्यार्थी सही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा।

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला एवं पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता में क्या अन्तर है? इन प्रश्नों के उत्तर का पता लगाकर शिक्षा जगत में अपना योगदान प्रदान करने के लिए यह शोध किया गया।

शोध शीर्षक :–

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति व जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध के उद्देश्य :–

1. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति की तुलना करना।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की जागरूकता की तुलना करना।

समस्या का परिभाषीकरण :–

1. **शिक्षा का अधिकार %&** 6 से 14 वर्ष की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएँगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों (एसएमसी) द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। इसके लिए बच्चे या उनके अभिभावकों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष फीस (स्कूल फीस) या अप्रत्यक्ष मूल्य (यूनीफॉर्म, पाठय–पुस्तकें, मध्यान भोजन, परिवहन) नहीं लिया जाएगा। सरकार बच्चे को निःशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध करवाएगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।
2. **शिक्षक :–** शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्याय में सीकर एवं झुंझुंनूं जिले के माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सम्मिलित किया है।
3. **अभिवृत्ति :–** अभिवृत्ति किन्हीं निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली वह स्वाभाविक तत्परता है। अभिवृत्ति को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति शिक्षकों की किसी अंग के प्रति प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, प्रत्यक्षात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के स्थाई संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
4. **जागरूकता :–** शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्याय में जागरूकता का अर्थ शिक्षा के अधिकार के प्रति शिक्षकों की विद्यार्थियों के प्रति चेतनता से है।

परिसीमन :–

प्रस्तुत शोध कार्य को सीकर एवं झुंझुनूं जिले के ग्रामीण एवं शहरी 80 सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के 160 शिक्षकों तक सीमित रखा गया है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया है। शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में सीकर एवं झुंझुनूं जिले के 40 ग्रामीण एवं 40 शहरी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 80 महिला शिक्षकों एवं 80 पुरूष शिक्षकों का चयन किया गया है।

विधि :–

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

उपकरण :–

1. प्रस्तुत अध्ययन में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का पता लगाने के लिए स्वनिर्मित जागरूकता मापनी का उपयोग किया गया।

सांख्यिकीय तकनीक :–

प्रस्तुत शोध कार्य में दत्त विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन और क्रान्तिक अनुपात सांख्यिकीय तकनीक को उपयोग में लिया गया।

परिकल्पना :–

1. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

दत्त विश्लेषण :–

परिकल्पना संख्या – 1 : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या – 1

महिला एवं पुरूष शिक्षकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	क्रान्तिक अनुपात (CR)	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
महिला शिक्षक	80	24.52	6.34	1.95	सार्थक अन्तर नहीं है।	
पुरूष शिक्षक	80	19.64	4.57			

$(df = N_1 + N_2 - 2 = 80 + 80 - 2 = 158)$

उपर्युक्त तालिका में महिला एवं पुरूष शिक्षकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति अभिवृत्ति मापनी के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 24.52 एवं 19.64 गणना द्वारा प्राप्त हुए है तथा मानक विचलन क्रमशः 6.34 तथा 4.57 गणना द्वारा प्राप्त हुए है। इन दोनों के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान (CR Value) 1.95 प्राप्त हुआ है। 158 (df) स्वतंत्रता के अंश पर .05 सार्थकता स्तर का मान 1.98 तथा .01 सार्थकता स्तर का मान 2. 61 क्रान्तिक अनुपात मान की तालिका में दिए गए है। गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात का मान तालिका मान से कम है अतः यहाँ निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिला एवं पुरूष शिक्षकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति अभिवृत्ति मापनी में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों समूह के मध्यमानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षकों का मध्यमान पुरूष शिक्षकों के मध्यमान से अल्प मात्रा में अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति पुरूष शिक्षकों से अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में अधिक हुई है।

आरेख संख्या – 1

महिला एवं पुरूष शिक्षकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्यमानों का दण्डारेखीय प्रदर्शन

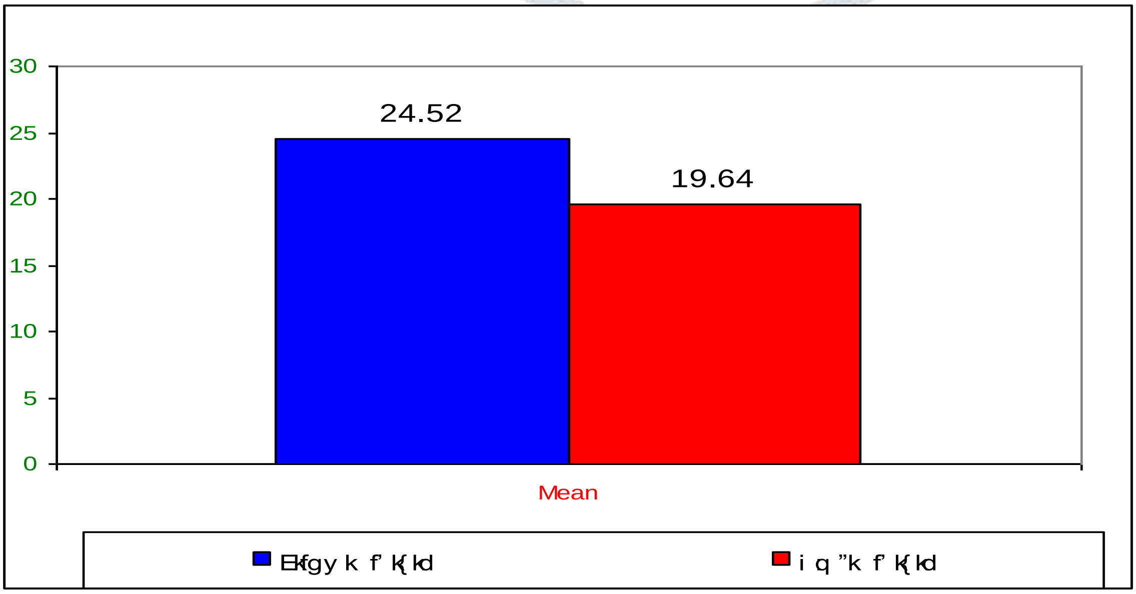

परिकल्पना संख्या – 2 : निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या – 2

महिला एवं पुरूष शिक्षकों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना –

न्यादर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	क्रान्तिक अनुपात (CR)	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
महिला शिक्षक	80	108.34	10.72	1.42	सार्थक अन्तर नहीं है।	
पुरूष शिक्षक	80	106.37	9.55			

($df = N_1 + N_2 – 2 = 80 + 80 – 2 = 158$)

उपर्युक्त तालिका में महिला एवं पुरूष शिक्षकों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता मापनी के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 108.34 एवं 106.37 गणना द्वारा प्राप्त हुए है तथा मानक विचलन क्रमशः 10.72 तथा 9.55 गणना द्वारा प्राप्त हुए है। इन दोनों के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान (CR Value) 1.42 प्राप्त हुआ है। 158 (df) स्वतंत्रता के अंश पर .05 सार्थकता स्तर का मान 1.98 तथा .01 सार्थकता स्तर का मान 2.61 क्रान्तिक अनुपात मान की तालिका में दिए गए है। गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात का मान तालिका मान से कम है अतः यहाँ निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिला एवं पुरूष शिक्षकों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। दोनों समूह के मध्यमानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि महिला शिक्षकों का मध्यमान पुरूष शिक्षकों के मध्यमान से अल्प मात्रा में अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि महिला शिक्षकों की जागरूकता पुरूष शिक्षकों से अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में अधिक है।

आरेख संख्या – 2

महिला एवं पुरूष शिक्षकों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूकता के प्राप्तांकों के मध्यमानों का दण्डारेखीय प्रदर्शन

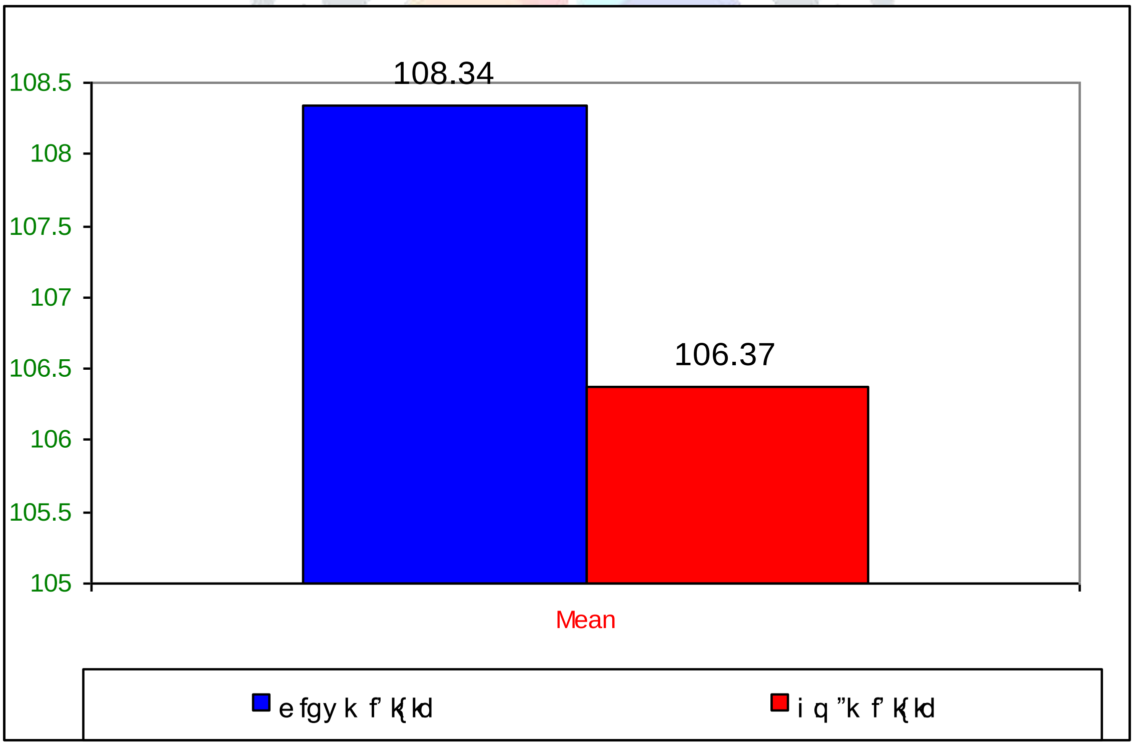

निष्कर्ष :–

- परिकल्पना संख्या – 1 : ''निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।'' स्वीकार की जाती है। दोनों समूह के मध्यमानों के आधार पर महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति पुरूष शिक्षकों से अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में अधिक है।

- परिकल्पना संख्या – 2 : ''निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है।'' स्वीकार की जाती है। दोनों समूह के मध्यमानों के आधार पर महिला शिक्षकों की जागरूकता पुरूष शिक्षकों से अपेक्षाकृत अल्प मात्रा में अधिक है।

शैक्षिक निहितार्थ :–

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षकों और पुरूष शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है। 'सब के लिए शिक्षा' हेतु जनसंपर्क, चौपाल वार्ताएँ तथा टी.वी., रेडियो स्थानीय समाचार–पत्रों आदि से व्यापक प्रचार–प्रसार कर शिक्षा के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम से उन्हे शिक्षित होने का अवसर प्राप्त करवाने हेतु शिक्षक स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। शोध के परिणामों से स्पष्ट होता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के प्रति महिला शिक्षक और पुरूष शिक्षक सचेत है।

संदर्भ सूची

1 अरोड़ा, रीता एवं मारवाह, सुदेश (2001) : ''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी'', 23, भगवान दास मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

2 जयसवाल, सीताराम (1977) : ''तुलनात्मक शिक्षा'', रेलवे क्रांसिग, सीतापुर रोड, लखनऊ।

3 ढौढ़ियाल, एसय फाटक, अरविन्द (1990) : ''शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

4 बाहरी, हरदेव (1969) : ''वृहत्त अंग्रेजी–हिन्दी कोश'' भाग–2 ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र.)

5 भटनागर, सुरेश एवं वशिष्ठ, कमलाय सिंह एम.के. (1996) : ''शैक्षिक प्रबन्ध और शिक्षा की समस्याएं,'' सूर्या पब्लिकेशन, द्वितीय संस्करण।

6 भार्गव, महेश (1993) : ''आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन'', द्वितीय संस्करण, भार्गव बुक हाऊस, राजामण्डी, आगरा।

7 मलहोत्रा, ममता (2014) : ''शिक्षा का अधिकार,'' प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

8 मिश्र मैजर (1999) : आर.सी., एन.सी.सी. हैण्डबुक प्रकाशक ईटावा।

9 वर्मा, जे.के. (2013) : ''शिक्षा का अधिकार'', राजा पॉकेट बुक्स, बुराड़ी, दिल्ली।

10 वशिष्ट डॉ. के.के. (1984–85) : ''विद्यालय संगठन एवं भारतीय शिक्षा की समस्यायें,'' लायल बुक डिपो, मेरठ।

11 www.rte.raj.nic.in